उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 1982/ तीस-3-2023

लखनऊ : दिनांक: 10 जुलाई, 2023

उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापन विषयक अधिसूचना संख्या-90/2023/1924 /तीस-3-2023, दिनांक 10 जुलाई, 2023 संबंधी अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

2- सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

3- कार्मिक अनुभाग-1/2

4- कार्मिक नियमावली सेल।

5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

6- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को दिनांक 10 जुलाई, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, कक्ष संख्या-323 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

288 - U.O. -2022

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन,

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- ९० /2023/1924/तीस-3-2023

लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम-5 का संशोधन	2- उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में नीचे स्तंभ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	5. (1) सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:- (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) निम्नवत मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा- (क) मुख्यालय से 20 प्रतिशत (20%) (क) उन्नीस प्रतिशत, मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध न हों तो	5. (1) सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:- (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) निम्नवत् मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा- (क) मुख्यालय से 20 प्रतिशत (20%) (क) सोलह दशमलव छः सात (16.67%) प्रतिशत, मुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में

http://shasanadesh.up.gov.in

	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (ख) एक प्रतिशत मुख्यालय पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) आंचलिक/क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालयों से (30%) । (क) अट्ठाइस प्रतिशत, आंचलिक। कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में, प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों को, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (ख) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (2) यदि प्रशासनिक अधिकारियों या प्रधान सहायकों में से कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उसका ज्येष्ठ व्यक्ति भी इस बात के होते हुये भी सम्मिलित किया जायेगा कि उसने स्वयं अपेक्षित अवधि की सेवा नहीं की है।	प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (ख) तीन दशमलव तीन तीन (3.33%) प्रतिशत मुख्यालय पर तैनात मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (ख) आंचलिक / क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों से (30%) । (क) पच्चीस प्रतिशत (25%), आंचलिक कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों को, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (ख) पांच प्रतिशत (05%), मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी- एक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

http://shimlahousing.gov.in

		परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष में, पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। (2) यदि प्रशासनिक अधिकारियों या प्रधान सहायकों और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-एक या वैयक्तिक सहायक श्रेणी-दो में से कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति भी इस बात के होते हुये भी सम्मिलित किया जायेगा कि उसने स्वयं अपेक्षित अवधि की सेवा नहीं की है।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर राव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 90/2023/1924/30-3-2023 dated: 10th July, 2023

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

TRANSPORT SECTION-3

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 90/2023/1924/30-3-2023

Lucknow: Date 10th July, 2023

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service Rules, 1980.

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT TAXATION (SUBORDINATE) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2023

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport Taxation (Subordinate) Service (Second Amendment) Rules, 2023 (2) They shall come into force at once.	
Amendment of rule 5	In the Uttar Pradesh Transport Taxation (Sabordinate) Service Rules, 1980 for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-	
	COLUMN 1 Existing rule	COLUMN 2 Rule as hereby substituted
	5-(1) Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources: (i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) By promotion through the Commission from amongst substantively appointed persons as below;- (A) Twenty percent from Head Quarter (20%) (a) Nineteen percent from amongst Administrative Officers of Head Quarter who have completed two years of service as such	5-(1) Recruitment to the posts in the service shall be made from the following sources: (i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) By promotion through the Commission from amongst substantively appointed persons as below;- (A) Twenty percent from Head Quarter (20%) (a) Sixteen point Six Seven (16.67) percent from amongst Administrative Officers of Head Quarter who have completed two years of

http://shasanadesh.up.gov.in

	on the first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (b) One percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 posted at Head Quarter who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment. (B) From Zonal/Regional/ Sub-Regional Offices (30%) (a) Twenty eight percent from amongst Administrative Officers of Zonal offices who have completed two years service as such on first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (b) Two percent from	service as such on the first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative Officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (b) Three point three three (03.33) percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 posted at Head Quarter who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Personal Assistant Grade-1 are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Personal Assistant Grade-2 who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (B) From Zonal/Regional/Sub-Regional Offices (30%) (a) Twenty five (25) percent from amongst Administrative Officers of Zonal offices who have completed two years service as such on first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Administrative officer are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively

http://shasanadesh.up.gov.in

	amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment. (2) If amongst Administrative Officer or Head Assistant, a junior person is included in the field of eligibility his senior shall also be included not withstanding the fact that he himself has not put in the requisite period of service.	appointed Head Assistants who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (b) Five (5) percent from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-1 who have completed two years of service as such on first day of the year of recruitment. Provided that if in any year of recruitment, sufficient number of Personal Assistant Grade-1 are not available for promotion the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Personal Assistant Grade-2 who have completed seven years service on the first day of year of recruitment. (2) If amongst Administrative Officer or Head Assistant and Personal Assistant Grade-1 or Personal Assistant Grade-2 a junior person is included in the field of eligibility his senior shall also be included not withstanding the fact that he himself has not put in the requisite period of service.

By Order,

(L. Venkateshwar Lu)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.ap.gov.in